सारांश एवं निष्कर्ष

शोध प्रविधि का सारांश :

प्रस्तावित शोध कार्य में शोध प्रविधि के अनुरूप निम्न प्रविधियों के आधार पर शोधकार्य को मूर्तरूप दिया गया है। जिसमें अध्ययन शीर्षक आधार पर मूलभूत प्रश्नों तथा अध्ययन के उद्देश्य को लिया गया है, जिनके उत्तर निरीक्षण के माध्यम से दिये गए हैं। अध्ययन की परिकल्पना का भी परीक्षण किया गया है। पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों द्वारा प्रदूषण की कुछ परिभाषाओं को भी उल्लेखित किया गया है। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर, वर्धा के भौगोलिक क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, उसका क्षेत्रफल, लोकसंख्या, मकानों की संख्या, जातिगत लोकसंख्या को विभाजित कर लिखा गया है, जिससे वर्धा शहर को समझा जा सके तथा तथ्यों का संग्रह करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। शोध प्ररचना के द्वारा एक रूपरेखा तैयार किया गया, अध्ययन की इकाई-समग्र से नमूना विधि-तकनीक और नमूने का आकार ज्ञात किया गया। शोध अध्ययन में आंकड़ों के तथ्यों का संकलन करने के लिए तथ्यों को प्राथमिक स्त्रोत एवं द्वितीयक स्त्रोत के द्वारा एकत्रित किया गया। यह शोध वर्णनात्मक शोध प्रविधि द्वारा किया गया है। वर्णनात्मक अध्ययन का उद्देश्य किसी परिघटना, स्थिति घटना, व्यक्ति, वर्ग या समुदाय का वर्णन करना होता है। मूलरूप से यह तथ्य का पता लगाने वाला प्रयोग है, जो अपेक्षाकृत समुचित रूप से परिभाषित तत्व के कुछ आयामों पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शोध का सारांश :

अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण सही नहीं होने के कारण लगातार प्रदूषण का फैलता प्रकोप जिससे मनुष्य के स्वस्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अपशिष्ट प्रदूषण को निम्न अवस्था में रखा गया है- जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा अपशिष्ट कचरों को वर्गीकृत करके उसे नष्ट किया जा सकता है तथा जो पुनरचकर्ण के लिए हो उससे नया उत्पाद तैयार किया जाता है। जो अपशिष्ट घुलनशील या सड़नशील हो उसे कम्पोस्ट खाद के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे अपशिष्ट जिनको न पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और न ही कम्पोस्ट किया जा सकता है। खाली भूमि तथा बड़े-बड़े गड्ढों को लैंड फिलिंग के द्वारा उस स्थान को एक प्लॉट के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है या बच्चों के लिए खेलने का मैदान या गार्डन का शक्ल भी दिया जा रहा है। अगर इन अपशिष्ट पदार्थों की उचित व्यवस्था न किया

जाए तो मानव स्वस्थ्य पर इसके गंभीर परिणाम तो तात्कालिक तो नहीं होते पर भविष्य में इसका गहरा एवं दूरगामी प्राणघाती परिणाम देखने को मिलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों एवं स्वच्छता को जानने-समझने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान" से लेकर, गाँधी का साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखकर इस शोधकार्य का अध्ययन किया गया है। गाँधी जी के द्वारा साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर दिए गए, विचरों को देश हित, समाज हित एवं मानव हित के उपकार के लिए किया जाना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए महाराष्ट्र राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान भी बनाए गए हैं। औद्योगिकीकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण एवं लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ शहरी पलायन भी अपशिष्ट पदार्थ के अलावा प्रदूषण में भी हो रही वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

परिकल्पनाओं का परीक्षण :-

लघु शोध में उदरित की गई परिकल्पना को जाँचने के लिए शोधार्थी को शोध क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान परिकल्पनाओं को सत्य की ओर अग्रसर होते देखा गया, अपशिष्ट प्रबंधन के बावजूद भी आज भी अपशिष्ट कचरे यहाँ-वहाँ बिखरे दिखाई दे रहें है। अपशिष्ट पदार्थों तथा कचरों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि दिखाई दी। वर्धा के रहवासियों में इस समस्या को लेकर जागरूकता का अभाव दिखाई दिया, तथा नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही अपशिष्ट पदार्थों की साफ-सफाई की गति मंद दिख रही है। परिकल्पना यूं ही नहीं बनती, जो समाज में घटना घटती है, जिसे अनुभव किया जाता है तथा जिसे लेखों एवं अन्य तकनीकी माध्यम से देखा-सुना जाता है, वही सब परिकल्पना के तौर पर रखा जाता है। इसलिए यहाँ सभी परिकल्पनाएं परीक्षण के बाद सही साबित हुई।

मूलभूत प्रश्नों के उत्तर :-

प्रश्न :- क्या वर्धा शहर में अपशिष्ट प्रबंधन उचित तरीके से किया जाता है ?

उत्तर :- शोध क्षेत्र में हस्तक्षेप के उपरांत यह देखा गया कि अपशिष्ट प्रबंधन निस्तारण के लिए नगरपरिषद द्वारा क्रियान्वित कार्यप्रणाली तो ठीक है लेकिन उसका समाज में उचित प्रकार से क्रियान्वयन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यह भी देखा गया कि विभिन्न स्थानों पर रखे गए डम्प-बॉक्स की स्थिति काफी खस्ता

तथा उसके आसपास बिखरे कचरे को देख कर कहा जाता है कि वर्धा शहर में अपशिष्ट प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा।

प्रश्न :- क्या वर्धा शहर के लोग अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक हैं ?

उत्तर :- अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट पदार्थों को लेकर वर्धा के रहवासियों के जनमत के अनुसार तो 40-60 प्रतिशत रहवासी दिखाई दिए, और वहीं हर कोई इसको लेकर अपने-अपने घरों में इससे निपटने के लिए उचित व्यवस्था भी करके रखे हैं। अगर वाकई वर्धा के रहवासी अपशिष्ट पदार्थों को रोकने तथा इसका प्रयोग न करने के लिए जागरूक हैं, तो सर्वेक्षण के दौरान डम्प-बॉक्स के बाहर बिखरे कचरे, घरों के सामने फैले कचरे तथा बाज़ारों एवं दुकानों के बाहर प्रचूर मात्रा में फैला अपशिष्ट कहीं-न-कहीं शोध में प्राप्त आंकड़ों को गलत साबित करता है।

प्रश्न :- क्या वर्धा शहर के नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपशिष्ट पदार्थों को प्रतिदिन साफ करते हैं ?

उत्तर :- वर्धा शहर में अपशिष्ट पदार्थों की साफ-सफाई को लेकर, सफाई कर्मचारियों की भूमिका कोई खास दिखाई नहीं दी, प्रत्येक शोधकार्य क्षेत्र में रहवासियों के मतानुसार अपशिष्टों की साफ-सफाई प्रतिदिन न होकर तीन-चार दिन में कभी-कभी आते हैं। जिस कारण अपशिष्ट पदार्थों का एक ढेर जमा होता रहता है। यही स्थिति डम्प-बॉक्स की है जिसको महीने में तीसरे-चौथे हफ्ते में उठाने के लिए गाड़ी आती है तथा ट्रेक्टर-ट्रॉली के द्वारा भी कचरे को उठाकर ले जाया जाता है।

प्रश्न :- क्या वर्धा शहर के लोग अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभाव को जानते हैं ?

उत्तर :- अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले दुष्परिणाम तथा इसके दुष्प्रभाव को लेकर वर्धा के रहवासी पूर्णरूप से कई जानकारियों से अभी भी अनभिग्न हैं। ये यह मानते हैं कि कूड़े-कचरे से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियाँ जन्म लेती है। घर के सामने नालियों में बरसात के समय प्लास्टिक एवं पौलिथीन के जमा हो जाने से नालियों का दूषित पानी सड़कों तथा घरों में घुस आता है, जिससे इसके संपर्क में आने से चरम रोग जैसी गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार अपशिष्ट पदार्थों की स्थिति में सुधार न होकर उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है।

निष्कर्ष :-

अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर इस शोध कार्य में कई ऐसे मुद्दे भी हैं, जिससे सभी वाकिफ हैं। यह आज अपनी विफलता के चलते सम्पूर्ण विश्व में एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। ऐसा नहीं की पहले अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कूड़ा-कचरा नहीं होता था। पहले भी लोग इससे जूझते थे, पर उस वक्त कचरे का स्वरूप दूसरा था और वर्तमान में स्थिति बहुत बदल चुकी है, वर्तमान में इसका स्वरूप बड़ा ही भयावह है। सम्पूर्ण शोध कार्य के दौरान कई ऐसे तथ्य भी सामने निकल के आये जो अपशिष्ट प्रबंधन को विफल साबित करते हैं। वर्धा के कई हिस्सों में सर्वेक्षण के बाद तथा यहाँ रहने वाले रहवासियों का मत जानने एवं निम्न किताबों के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट देखा गाय, कि यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा शहरों में अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा-कचरों, नाले-नालियों की स्थिति केवल किताबों, भाषणों, अखबारों तथा बंद कमरों में बैठे जीवन का आनंद लेते हुए, सही और गलत की संकल्पना बनाए बैठे हैं। अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने में जितना जिम्मेदार कचरा करने वाले हैं, उतना ही जिम्मेदार इन कचरों को बनाने वाले भी बराबर के सहयोगी हैं। भय तो इस बात का बना हुआ है, कि कहीं ये कचरा अब धीरे-धीरे पलायन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को न अपना निशान बना बैठे, क्योंकि जिस प्रकार से आज सम्पूर्ण देश टीवी, मोबाइल, इंटरनेट द्वारा विज्ञापनों से रूबरू हो रहा है, कहीं न कहीं बाजारीकरण के इस दौर में माँग और पूर्ति की ये पद्धति शहरीकरण के इस दौड़ में ग्रामों को न ग्रसित कर ले और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कृषक, मजदूर, संस्कृति तथा शुद्ध प्रकृति कहीं इन कचरों के ढेर में न ढक जाए।

वर्धा में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति कोई बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि शोधकार्य करते समय अपशिष्ट प्रबंधन की क्रिया को काफी नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिला जो शोधार्थी ने ईमानदारी पूर्वक शोध प्रविधि द्वारा कड़ी-दर-कड़ी प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से यहाँ कचरों का ढेर देखने को मिला, सड़कों किनारे कचरा खुले में फेंक देना, बरसात में नालियाँ जाम हो जाना जैसी कई सामाजिक समस्याओं को देख कर, शोध विषय तैयार करना जो वर्धा के परिपेक्ष में देखने को मिली। अब सवाल था कि इसकी वास्तविकता को कैसे जाँचे। इसके लिए क्षेत्र अवलोकन, प्रश्नावली के माध्यम से रहवासियों का मत, साक्षात्कार तथा छाया चित्र, तथ्य-संकलन द्वारा सत्य के करीब जाने का प्रयास किया गया। इस शोधकार्य में शोध की दो इकाई को लिया गया था, पहला वर्धा शहर में नगर परिषद द्वारा स्थापित डम्प बॉक्स और दूसरा इस डम्प बॉक्स के इर्द-गिर्द रहने वाले रहवासी।

तथ्यों के आधार पर अपशिष्ट प्रबंधन को वर्धा में विफल देखते हैं क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों की साफ-सफाई को लेकर 72% लोगों में नाराजगी एवं हताशा दिखाई देती है। जहां डम्प बॉक्स है,वहाँ कचरा बाहर बिखरा पड़ा है और जहाँ नहीं है, वहाँ खुले में बिखरा है। डब्बों की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें आसपास रहने वालों द्वारा उसमें आग लगा दिया जाता है, जिससे उसमें ज़ंक लगने के कारण डब्बा सड़ एवं झड़ चुके हैं। जहाँ कचरा अधिक होता है वहाँ सूअर, कुत्ते आवारा पशुओं की तदात बढ़ी है। इनके द्वारा भी उत्सर्जित मल-मूत्र उस स्थान पर दुर्गंध तथा अपशिष्ट को अधिक फैला रहे हैं। नगर परिषद द्वारा मनोनीत सफाई कर्मचारी अधिकतर ठेके पर कार्य करते हैं, जिनकी तनख्वा 200 से 250 रुपए रोजी के हिसाब से मिलती है। 92% रहवासियों के द्वारा कहा गया है कि सफाई कर्मचारी कभी-कभी ही आते हैं। जिस कारण से अपशिष्ट पदार्थों का ढेर इकट्ठा होता रहता है तथा दुर्गंध का माहौल बन जाता है। 15 से 20 दिन में एक बार गाडियाँ आती हैं। डम्प बॉक्स बदलने के लिए और-तो-और 100% लोगों का कहना है, कि इनसे उत्पन्न डेंगू-मलेरिया जैसे मच्छरों से निपटने के लिए दवाइयों का छिड़काव भी नहीं किया जाता। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के बारे में 85% लोगों को जानकारी नहीं है। 13% जिनको है भी, वो भी अपशिष्ट पदार्थों के बिखराव के लिए उतना ही जिम्मेदार हैं। हर कोई अपने-अपने घर को साफ-सुथरा करने में लगा रहता है, पर वही कचरा घरों के बाहर सड़कों पर बिखरा मिलता है। 92% लोगों का कहना है कि वो घरों का कचरा खुले में नहीं फेंकते, अगर कचरा ये नहीं फेंकते तो वो कौन है, जो पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर उसको दूषित कर रहा है। मानव की यही प्रकृति है कि वह कभी अपनी गलती नहीं स्वीकारता और साथ में यह भी कहता है की वह अपशिष्ट सामाग्री से जुड़ी किसी भी प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता।

जागरूकता की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि 100% लोगों का यही कहना था, कि बिना जागरूकता अभियान चलाये, चाहे वह टीवी के माध्यम से, इंटरनेट, मोबाइल संदेश, जागरूकता रैली इत्यादि के माध्यम से पूरे समाज में अपशिष्ट पदार्थों के प्रति लोगों का तथा प्रशासन का साफ-सफाई के प्रति सकारात्मक रुख की ओर अग्रसर किया जा सकता है। अंत में 72% लोगों ने यह स्वीकार किया कि अपशिष्ट पदार्थों के कारण पर्यावरण लगातार प्रभावित हो रहा है। मानव ने लगातार प्रकृति पर कई प्रहार किए और वर्तमान में कर भी रहा है। जिसका परिणाम वह समय-समय पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख रहा है। मानव प्रवृति में एक चीज़ बहुत ही सामान्य है। वह है दोषारोपण, अपनी गलतियों

को सदियों से कभी ईश्वरीय सत्ता पर, कभी राजकीय सत्ता पर, सामाजिक सत्ता पर अंत में जब कोई नहीं बचता तो वह एक दूसरे को ही दोषी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए आज सम्पूर्ण विश्व में अपशिष्ट पदार्थों को लेकर भयावह की स्थिति बनी हुई है। पर्यावरण का एक भी एस कोई हिस्सा नहीं जो सुरक्षित बचा हो, जल, जमीन, जंगल, पहाड़ सभी स्थानों पर प्रदूषण का घाना कोहरा छाया हुआ है, जो छटने का नाम ही नहीं ले रहा। औद्योगिकीकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण एवं लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ शहरी पलायन भी अपशिष्ट पदार्थ के अलावा प्रदूषण में भी हो रही वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। एवं वहीं दूसरी ओर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में समता-समानता-बंधुत्व जैसे मजबूत अधिकारों वाले देश के नागरिकों का भी मनमानी तौर से प्रदूषण और अपशिष्ट पदार्थों से अपने आस-पास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। सरकार चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, उसका उत्तरदायित्व होता है, कि वह समाज के प्रत्येक सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर उसकी समस्याओं को प्राथमिकता देना

प्रस्तावित समाजकार्य हस्तक्षेप :-

अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समाजकार्य हस्तक्षेप की आवश्यकता महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। क्योंकि शोध क्षेत्रों को देखते हुए वहाँ की स्थिति अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन तथा सफाई कर्मचारियों की निराशा जनक कार्यप्रणाली एवं रहवासियों में साफ-सफाई के प्रति स्वार्थपूर्ण जागरूकता को देखते हुये यहाँ समाजकार्य हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित शोध में समाजकार्य हस्तक्षेप को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है –

1. समाजकार्य के माध्यम से प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी-गैर-सरकारी कार्यालयों, गली-मोहल्लों, अस्पतालोंआ दि संस्थाओं को विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अपशिष्टों के बिखराव को रोकने के लिए नवीन कार्यक्रमों का आयोजन करना।
2. नगर परिषद कार्यालय में एक सामाजिक ज्ञापन के माध्यम से लगातार हो रही समस्याओं से अवगत कराना।
3. स्वच्छता से संबन्धित रैलियों का आयोजन करना तथा नुक्कड़ नाटक के द्वारा रहवासियों को जागरूक करने का प्रयास करना।

4. समाजकार्य को इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सड़नशील वो अब शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर वहाँ के प्रत्येक तबके को प्रभावित कर रहा है।

सुझाव :-

वर्तमान में अपशिष्ट पदार्थों का स्वरूप बदल चुका है, उसके स्थान बादल चुके हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को निर्मित करने वाले तथा इसका उपभोग करने वाले इन दोनों में मांग और पूर्ति की प्रतिस्पर्धा अत्याधिक बढ़ गई है। यही अपशिष्ट पदार्थ आज जहाँ देखो वहाँ आसानी से फैले देखे जा सकते हैं। जल, जमीन, जंगल इन सभी स्थानों पर मिलने वाले अपशिष्ट किसी न किसी रूप में मानव द्वारा निर्मित विकास की सीढ़ी के द्वारा ही उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। श्रीष्टि में रहने वाले जीतने भी जैविक प्राणी हों तथा वो जो मानव द्वारा निर्मित निर्जीव पदार्थ इनका विनाश तो निश्चित है। क्योंकि इस चराचर जगत में कोई भी अमर नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु या जीव आस्तियों का विघटन भी अनिवार्य है तथा विघटन की प्रक्रिया को लगने वाली समय अवधि भी अधिक होती है। वर्षों लग जाते हैं, किसी भी वस्तु को निष्क्रिय होने में। फिर भी प्रति वर्ष प्रशासन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए निम्न योजनाएँ एवं सुझाव दिये जाते हैं। लैंड फिलिंग, अपशिष्ट कम्पोस्ट, पुनर्चकरण, शहर से दूर खुले में अपशिष्ट निस्तारण आदि।

यहाँ शोधार्थी द्वारा निम्न सुझाव दिये गए हैं, जैसे :-

1. लगातार हो रहे पर्यावरण पर मानवीय प्रहार से मुक्त करने के लिए, समाज के प्रत्येक गली-मोहल्ले में अपशिष्ट पदार्थों से मुक्ति एवं उसके निस्तारण के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

2. अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े निम्न कार्यक्रमों को समय-समय पर स्कूलों, मोहल्लों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी एवं निजी कार्यालयों, सड़कों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।

3. प्रशासन द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सकारात्मक रवईया अपनाने की जरूरत है, अर्थात इससे जुड़े जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी एवं ठेके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरणों की निगरानी करना।

4. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, किसी भी विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए तथा इसके साथ जहाँ-जहाँ झुग्गि-झोपड़ियाँ हैं वहाँ विकास के साथ अपशिष्ट पदार्थों के रख-रखाव के लिए नियमित सफाई एवं सुधार करने की आवश्यकता है।

5. अपशिष्ट पदार्थों में सबसे हानीकारक पदार्थ पौलिथीन, प्लास्टिक बोतल एवं ऐसे पदार्थ जिनका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

6. ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके, जीतने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको स्थायी रूप से पक्की नौकरी पर रखना तथा सभी का एक निश्चित वेतन लागू कर देना चाहिए, जिससे उनके अंदर जन्म लेती असंतोष की भावना को समाप्त किया जा सके।

7. पोलीथीन की थैलियों के स्थान पर कागज़ व कपड़े के बैग या थैलों का प्रयोग एवं उपयोग किया जाना चाहिए।

8. स्कूलों, दफ्तरों तथा घरों में कागजों के अनावश्यक प्रयोग को रोकें तथा कागज को व्यर्थ न करे। कागज की बचत करें, जिससे नए कागज बनाने के लिए अनेकों पेड़ों को काटने की आवश्यकता न पड़े।

9. अपशिष्ट पदार्थों को शहर के नजदीक खुले में नगरपालिका द्वारा निस्तारण करने से रोकना चाहिए, आस-पास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर बना रहे।

10. युवा पीढ़ी से लेकर छोटे बच्चे तक को पर्यावरण से जुड़ी सभी समस्याओं जैसे- स्वच्छता, स्वस्थ्य, प्रदूषण, अपशिष्ट पदार्थों के प्रभाव इत्यादि घटकों से अवगत कराने की आवश्यकता है।

11. अपशिष्ट पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए, डिस्पोसल और पौलोथीन को बंद करके पत्तों द्वारा निर्मित पत्तल-दोने तथा कपड़े के बैग आदि समग्रियों पुरानी पद्धति द्वारा चलन में लाना चाहिए।

12. रुतबे, अहम, स्वार्थ, नवीनता, रूढ़ि वादी धार्मिक परंपरा, स्पर्धा इत्यादि ऐसी मानव मूलक इकाई को त्याग कर समता, समानता, बंधुत्व, मानवता इत्यादि इकाई को स्वीकार कर समाज हित, देश हित, मानव हित एवं पर्यावरण हित के संदर्भ में अग्रसर होना चाहिए।